दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सि.वा.(मू.प.) 1009/2012

आदेश दिनांक 04.02.2014

पी.पी ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड ..... वादी

द्वारा :श्री करण जैन, अधिवक्ता

बनाम

मॉडर्न न्यू कपूर ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड ..... प्रतिवादी

द्वारा :श्री मनीष श्रीवास्तव, अधिवक्ता

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति जी.एस.सिस्तानी

<u>न्या. जी.एस.सिस्तानी, (*मौखिक*)</u>

1. वादी ने वादकालीन और भविष्य के ब्याज सहित 81.72 लाख रुपये की वसूली हेतु सि.प्र.सं. के आदेश 37 के प्रावधानों के अंतर्गत वर्तमान वाद दायर किया है। वादपत्र के अनुसार, वादी और प्रतिवादी के बीच व्यापारिक लेन-देन वादी के दो इनवॉइस सं. 02585 दिनांक 01.07.2010 और इनवॉइस सं. 02879 दिनांक 14.7.2010 के विरुद्ध हुआ था। इन इनवॉइस पर प्रतिवादी कंपनी के निदेशक अर्थात् सीता राम कपूर ने नए आभूषण खरीदने की स्वीकृति में हस्ताक्षर किए थे, जिनका इनवॉइस में सम्यक् रूप से वर्णन किया गया था जो इस प्रकार है:

इनवॉइस	**विवरण**	**कुल धनराशि**
02585 दिनांक 01.07.2010	नए आभूषण – शुद्धता 22 कैरट। सकल भार (ग्राम) - 5736.460	1,08,59,954/- + वैट @ 1% 1,08,600 **कुल**
	शुद्ध भार (ग्राम) -5736.460	1,09,68,554/- 33,91,960/-
02879 दिनांक 14.07.2010	नए आभूषण – शुद्धता 18 कैरट। सकल भार (ग्राम) - 1169.040 शुद्ध भार (ग्राम) -1169.040 हीरे (कैरट) – 154.76 नए आभूषण – शुद्धता 14 कैरट सकल भार (ग्राम) - 1025.560 शुद्ध भार (ग्राम) - 1025.560 हीरे (कैरट) -215.690	36,93,258/- + वैट @ 1% 70,853/- कुल 71,56,071/-

2. इसके अलावा वादपत्र के अनुसार प्रतिवादी ने अपने बैंक के माध्यम से धन भेजकर और वादी के पक्ष में अकाउंट पेयी(पाने वाले खाते) चेक जारी करके पार्ट इनवॉयस के विरुद्ध भुगतान किया। चेक सौंपे गए जिन्हें सम्यक् रूप से भुनाया गया, यद्यपि, दिनांक 29.6.2011 को बार्कलेज बैंक, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली को जारी चेक संख्या 981943 के माध्यम से 72.0 लाख रुपये की राशि का भुगतान नहीं किया गया जिसे वादी को सौंप दिया गया। प्रस्तुत करने पर उक्त चेक को 'व्यवस्था से अधिक' टिप्पणी के साथ वापस कर दिया गया।

3. यह बताया गया है कि मूल चेक परक्राम्य लिखत अधिनियम की कार्यवाही के अंतर्गत दायर किया गया है, यद्यपि, चेक की प्रमाणित प्रति अभिलिखित

की गई है। प्रतिवादी को विहित प्रपत्र में समन की तामील की गई थी; तामील के लिए पता दायर किया गया था, यद्यपि, प्रतिवाद हेतु अनुमति के लिए कोई आवेदन अभिलिखित नहीं है।

4. यद्यपि, यह ध्यान देने योग्य है कि प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 21.10.2013 को यह बयान दिए जाने पर कि दिनांक 31.5.2013 की डायरी सं. 89066 द्वारा बचाव की अनुमति के लिए आवेदन दायर किया गया है, प्रतिवादी को रजिस्ट्री से जांच करने और त्रुटियों को दूर करने के बाद आवेदन को अभिलिखित करने का निर्देश दिया गया था। रजिस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कोई आवेदन दायर नहीं किया गया है।

5. प्रतिवाद हेतु अनुमति के लिए किसी भी आवेदन के अभाव में, सि.प्र.सं. के आदेश 37 के नियम 3 (5) के अनुसार, वर्तमान वाद को डिक्री(निर्णीत) किया जाता है। वादी 8% की दर से वादकालीन ब्याज और वसूली तक उसी दर पर भविष्य में ब्याज का हकदार होगा।

<u>अंतर.आ. 6809/2012 व अंतर.आ. 1037/2013</u>

6. वाद में पारित आदेश को देखते हुए आवेदनों का निपटान किया जाता है।

न्या. जी.एस.सिस्तानी

फ़रवरी 04, 2014
एसएसएन

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*